

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1291  
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

बेरोजगारी की दर

1291. श्री गौरव गोगोई:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआईई) डाटाबेस द्वारा 'भारत में बेरोजगारी दर' पर खुलासे के अनुसार दिसंबर, 2018 में अनुमानित बेरोजगारी दर बढ़कर 27 महीनों में सबसे अधिक 7.38 प्रतिशत हो गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;
- (ग) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार में उल्लेखनीय कमी आई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अनुमानित श्रम भागीदारी दर में गिरावट आई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ङ): सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआईई) एक निजी संस्था है तथा सरकार को इनके द्वारा डिजाइन किए गए सर्वेक्षण एवं अपनाई गई कार्य-प्रणाली की जानकारी नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण में उपलब्ध परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात एवं श्रम बल भागीदारी दर नीचे दी गई है:

वर्ष		2012-13	2013-14	2015-16
श्रम बल भागीदारी दर (% में)	ग्रामीण	55.5	58.8	55.8
	शहरी	46.7	47.9	43.7
	ग्रामीण +शहरी	53.1	55.6	52.4
कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)	ग्रामीण	53.6	57.1	53.9
	शहरी	44.2	45.5	41.8
	ग्रामीण +शहरी	51.0	53.7	50.5
बेरोजगारी दर (%)	ग्रामीण	3.5	2.9	3.4
	शहरी	5.3	4.9	4.4
	ग्रामीण +शहरी	4.0	3.4	3.7

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 28.01.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1,29,916 प्रतिष्ठानों एवं 1.05 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा उनका विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए गतिशील, दक्ष एवं अनुक्रियाशील ढंग से योग्यता-अनुरूप रोजगार हेतु एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो उनको बेहतर आजीविका एवं रोजगार संबंधी आवश्यकताएं प्राप्त करने में सहायता करेगा।

\*\*\*\*\*